38/2023 लवणी बनाम सरकार
2023/336

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 20/3/2024 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उप. बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्रवण की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 38 / 2023

निर्णय दिनांक : 20.03.2024

1. श्रवणी देवी पत्नी लक्ष्मण जाति–जाट, उम्र 57 वर्ष, निवासी– ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. काना पुत्र गंगल्या, उम्र–60 वर्ष,
3. गुल्लाराम पुत्र जगन्नाथ, उम्र–80 वर्ष,
4. गुल्लीदेवी पत्नी रामचन्द्र, उम्र–70 वर्ष,
5. गोपाल पुत्र घासी, उम्र–55 वर्ष,
6. जितेन्द्रकुमार पुत्र रामकरण, उम्र 23 वर्ष,
7. रामधन पुत्र घासी, उम्र–45वर्ष,
8. रामनारायण पुत्र गंगल्या, उम्र–70 वर्ष,
9. सूजाराम पुत्र घासी, उम्र–50 वर्ष,
10. सायर पुत्र रामचन्द, उम्र–45 वर्ष,
11. हनुमान पुत्र गंगल्या, उम्र–55 वर्ष,
12. काना पुत्र रामू, उम्र–50 वर्ष,
    समस्त जाति जाट, समस्त निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
13. मीरा पत्नी भूरा उम्र 48 वर्ष,
14. शिवराज पुत्र भूरा उम–27 वर्ष,
15. गणेश पुत्र भूरा उम्र–25 वर्ष,
    समस्त जाति जाट, समस्त निवासी ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

### निर्णय

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम [illegible] का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमी खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.5000 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0. 5000 [illegible] जगन्नाथपुरा, पटवार हल्का अजयराजपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कलवाड़ा, तहसील [illegible] जयपुर में स्थित है। जिस [illegible] भूमी में काबिज काश्त होकर पर प्रार्थीया निर्वाध रूप से अपने कब्जे एवं स्वामित्व [illegible] उपयोग उपभोग करता चली आ रही है। उक्त आ[illegible] प्रार्थीया की पैतृक कषि भूमी है तथा प्रार्थीया अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। अप्रार्थीगण संख्या बल में अधिक होने के कारण आये दिन प्रार्थीया को डराते धमकाते रहते है तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉगानेर)

अतिक्रमण करने के नियत से लडाई झगडा करते रहते है। प्रार्थीया अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की उक्त आराजी की सुरक्षार्थ हेतु पश्चिम दिशा में तारबन्दी नही करने दिया जा रहा हैं। जिस पर अप्रार्थीगण के अनावश्यक विवाद को निपटाने हेतु प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना पत्र को जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर सीमाज्ञान नही किया जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर (भू.अ.) के पत्रांक क्रमांक 6876 दिनांक 07.060.2022 की अनुशंसा एवं श्रीमान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदया, जयपुर के आदेश कमांक–राजकाज रेफरेंस नम्बर 3122582 दिनांक 08.02.2023 की पालना में भू–प्रबन्ध टीम एवं राजस्व टीम ने प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में दिनांक 10.02.2023 को सीमाज्ञान करवाया जो कि मौके पर प्रार्थीया की भूमी नाप जोक में सही पायी गई परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 बदनियति रखते हुए भू–प्रबन्ध टीम एवं राजस्व टीम द्वारा कराये गये सीमाज्ञान को नही मानते हुए प्रार्थीया द्वारा किये जा रहे तारबन्दी को नही करने दिया जा रहा हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अपने कब्जे एवं स्वामित्व की कृषि भूमी खसरा नम्बर 189/1 पर पुख्ता सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद खत्म हो जावें और मोके पर शांति व्यवस्था कायम रहें। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 से दिनांक 15.02. 2023 को निवेदन कर अवगत कराया कि प्रार्थीया द्वारा भूमी का सीमाज्ञान करवा लिया है प्रार्थीया की खसरा नम्बर की भूमी पूर्ण है और एक इंच भी भूमी अप्रार्थीगण की ओर नही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को तारबन्दी करने एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करें। प्रार्थीया के उपरोक्त कथनों से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 नाराज होकर ऐलानिया धमकी दी कि किसी भी सूरत में प्रार्थीया को तारबन्दी नही करने देंगे जब तक हमें कोई मोटी रकम नही दें देंवें। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 के उपरोक्त कथनों एवं समझाईश के बाद और कोई विकल्प शेष नही होने से श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 की हरकतों से परेशान होकर गया है आये दिन के विवादों से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य में कोई विवाद नही हो इस कारण प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना न्यायहित में किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमी का खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 प्रार्थीया की भूमी के सीमाओं के पड़ौसी खातेदार है प्रार्थीया को अपनी भूमी का पुख्ता सीमाचिन्ह व पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

8. यह कि वाद कारण प्रार्थीया के आवेदन पर भूप्रबन्ध टी एवं राजस्व टीम द्वारा प्रार्थीया की भूमी का सीमाज्ञान दिनांक 10.02.2023 को करवाये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 बदनियति रखते हुए बिना किसी कारण प्रार्थीया की भूमी में तारबन्दी करने एवं उपयोग उपभोग करने में निरन्तर बाधा उत्पन्न कर रहें है। जो निरन्तर जारी है। माननीय न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी ... कारण प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है ... प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमी खाता ... 34 में वर्णित खसरा नम्बर 189/1 रकवा 0.5000 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.5000 हैक्टेयर जो वाके ग्राम जगन्नाथपुरा, पटवार हल्का अजयराजपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कलवाड़ा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। का मौके पर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किया जाकर तदोपरान्त पत्थरगढ़ी करवाये जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को इस बावत आदेश जारी करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कृपा करें कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीया की भूमी का ठोस सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी करें।

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को दिनांक 19.05.2023 को रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.12.2023 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत बावजूद रजि0 डाक/डिलीवरी प्राप्ति के उपरान्त उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 10.01.2024 को तहसीलदार सांगानेर को जवाब हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सांगानेर ने पत्रावली में जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 38 पुराना 34 में वर्णित खसरा नम्बर 189/1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.5000 हैक्टेयर जो वाके ग्राम जगन्नाथपुरा, पटवार हल्का अजयराजपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। का मौके पर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किया जाकर तदोपरान्त पत्थरगढी करवाये जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को इस बाबत आदेश जारी करने की कृपा करें कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीया की भूमी का ठोस सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी करें।

हमने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की वाके ग्राम जगन्नाथपुरा, पटवार हल्का अजयराजपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कलवाड़ा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 38 पुराना 34 में वर्णित खसरा नम्बर 189/1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.5000 हैक्टेयर का फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 10.02.2023 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। आवश्यकता अनुसार पुलिस इमदाद लेवे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह )
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:48 IST
Reason: SelfAttested